तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज बाजदायरी प्रा0पत्र संख्या 11/21 हरीलाल बनाम नगर परिषद गंगापुरसिटी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुये
5.9.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक ने उनकी ओर से प्रस्तुत बाजदायरी सबधी प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2021 मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि अदालत हाजा में विचाराधीन निगरानी सख्या 78/2016 हरिलाल बनाम नगर पालिका गगापुर सिटी में सुनवाई तिथि सहवन से दिनाक 03.08.2021 की बजाय 23.08.2021 को दर्ज हो गई थी। इसलिए अपीलान्ट/प्रार्थी व अभिभाषक अदालत हाजा मे नियत पेशी दिनांक 03.08.2021 को उपस्थित नही हो सके थे। इस कारण अदालत हाजा द्वारा प्रार्थी की निगरानी अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज कर दी गई थी। अदालत हाजा की उक्त कार्यवाही से प्रार्थी के हित प्रभावित हो रहे हैं। दिनांक 03.08.2021 को प्रार्थी या उसके अभिभाषक की गैर हाजरी इरादतन नही होकर भूलवश हुई है। प्रार्थी व उनके अभिभाषक अदालत हाजा में प्रस्तुत निगरानी को सिरियसली कटेस्ट कर रहे हैं। यदि निगरानी नम्बर पर नही ली गई तो प्रार्थी निगरानीकार को असीमित नुकसान होगा जो जरिये नगद से पूर्ण नही हो सकेगा। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत बाजदायरी संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा मूल निगरानी को नम्बर पर लिए जाने के आदेश पारित किए जावें। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अदालत हाजा में नियत पेशी दिनांक 03.08.2021 को न तो निगरानीकार उपस्थित हुए और न ही निगरानीकार के अभिभाषक ही उपस्थित हुए। प्रार्थी के अभिभाषक का यह तर्क कि प्रार्थी के वकील की डायरी में सुनवाई तिथि दिनांक 03.08.2021 की बजाय सहवन से दिनांक 23.08.2021 को दर्ज होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके। उक्त तर्क मान्य नहीं है, क्योंकि अभिभाषक का यह दायित्व है कि वह अपने पक्षकार की ओर से प्रभावी पैरवी करे। इसके अलावा अभिभाषक की ओर से इस संबंध में किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अदालत हाजा की ओर से निगरानीकार व उसके अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने के कारण निगरानी अदम हाजरी व अदम पैरवी में सही खारिज की गई है। प्रार्थी की ओर से बाजदायरी संबंधी प्रार्थना पत्र भी 23 दिन बाद प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि निगरानीकार व उनके अभिभाषक अदालत हाजा में लम्बित निगरानी के संबंध में गंभीर नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे और यदि अदालत हाजा की ओर से प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निर्णय भी लिया जाता है तो कोस्ट के साथ उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। प्रार्थी व अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण की बाजदायरी संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2021 पर बहस सुनी गई तथा मनन किया गया। उक्त प्रकरण में निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी संख्या 78/2016 अदालत हाजा द्वारा दिनांक 03.08.2021 को निगरानीकार या निगरानीकार के अभिभाषक के नियत पेशी दिनांक 03.08.2021 को उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई है। प्रार्थी की ओर से बाजदायरी संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2021 को पेश किया गया है। इसमें अभिभाषक की डायरी में पेशी का सही अंकन नहीं होने के कारण	

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज बाजदायरी प्रा0पत्र संख्या 11/21 हरीलाल बनाम नगर परिषद गंगापुरसिटी
5.9.2023	नियत पेशी को उपस्थित नहीं होने का उल्लेख किया गया है। यद्यपि प्रार्थी के अभिभाषक का यह दायित्व है कि जिस प्रकरण में वे पैरवी कर रहे हैं। उसमें होने वाली कार्यवाही या नियत पेशी का पूर्ण ध्यान रखा जावे, परन्तु अभिभाषक की ओर से प्रभावी पैरवी नहीं होने के कारण किसी भी पक्षकार को न्याय से महरूम किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त प्रकरण में अभी तक निगरानीधीन आदेश के गुणावगुण पर विचार नहीं हुआ है, परन्तु अदालत हाजा द्वारा निगरानी को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। निगरानीकार की ओर से बाजदायरी संबंधी प्रार्थना पत्र 23 दिन के विलम्ब से पेश किया गया है एवं विलम्ब से पेश किए जाने के संबंध में जो कारण बताया है, उसके समर्थन में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत बाजदायरी संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2021 को कोस्ट पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत बाजदायरी संबंधी प्रार्थना पत्र 500 रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है। कोस्ट की राशि प्रार्थी द्वारा जिला विधिक सहायता भरतपुर में जमा कराकर रसीद अदालत हाजा में पेश किए जाने पर निगरानीधीन संबंधी मूल पत्रावली संख्या 78/2016 पुनः नंबर पर सुनवाई हेतु ली जावे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28.09.2023 को पेश हो। 5.9.2023 (सॉवर मल वर्मा) संभागीय आयुक्त भरतपुर